

कार्यालय:-

वन मण्डल अधिकारी, (क्षेत्रीय) पानीपत।

वन विभाग, हरियाणा सरकार

वन परिसर असन्ध रोड़, पानीपत, दूरभाष/ फैक्स न०:- 0180-2650331 E-Mail:- dfopanipat04@yahoo.co.in

क्रमांक:-
सेवा में:-

1857

दिनांक:- 16-12-2021

M/s. Divarnav Petrochem
on Madlauda-Waiser Road,
Village Madlauda, Distt. Panipat

विषय : **Diversion of 0.0037 Ha. Forest Land for access to M/s. Divarnav Petrochem on Madlauda-Waiser Road, Village Madlauda, Distt. Panipat.**

(Proposal No.FP/HR/Approach/122887/2021, Date of Proposal:-14-02-2021)

सन्दर्भ:- उप वन महानिरीक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय (केन्द्रीय) भारत सरकार, चण्डीगढ़ के पत्र क्रमांक 9-HRB084/2021-CHA दिनांक 15.06.2021 के निरन्तर में।

.....

पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय (केन्द्रीय), भारत सरकार के सन्दर्भांकित पत्र द्वारा प्रस्तावित केस से सम्बन्धित उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 0.0037 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति (प्रति संलग्न) शर्तें पूर्ण करने पर प्रदान की गई है। जिसके अनुसार निम्न कार्यवाही बारे लिखा है:-

मद सं० 2 के बिन्दु नं० i से iv:- प्रयोक्ता एजेन्सी से प्रतिपूर्ति पौधारोपण एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि की प्रतिपूर्ति पौधारोपण तथा एन०पी०वी० की राशि जमा करवाई जाये। आप द्वारा प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम अनुसार 2,28,793/- रुपये (Rs. Two Lakh Twenty Eight Thousand Seven Hundred Ninety Three only) की राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय की साईट से ऑन लाईन चालान बनाकर उक्त राशि जमा करवाकर तुरन्त मण्डल कार्यालय को अवगत करवाये।

बिन्दु नं० v:- LOI of Project जमा करवाया जाये।

संलग्न:-सी०ए० स्कीम व स्वीकृति पत्र।

वन मण्डल अधिकारी,
पानीपत।
16/12/2021

पृ० क्रमांक:-

1858

दिनांक:- 16-12-2021

इसकी एक प्रति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (एफ०सी०ए०), हरियाणा, पंचकूला को क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय (केन्द्रीय) भारत सरकार, चण्डीगढ़ के पत्र क्रमांक 9-HRB084/2021-CHA दिनांक 15.06.2021 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

वन मण्डल अधिकारी,
पानीपत।
16/12/2021

Full Title of the Project:-Diversion of 0.0037 Ha. Forest Land for access to M/s. Divarnav Petrochem on Madlauda-Waiser Road, Village Madlauda, Distt. Panipat.

Proposal No.FP/HR/Approach/122887/2021

Date of Proposal:-14-02-2021

Detail of Year Wise Plantation and Maintenance Cost and Other Expenditure

Sr. NO.	DESCRIPTION		RATE	AMOUNT	
A	Compensatory Afforestation Charges	No. of Plants			
	Ist Year cost of afforestation	100	Rs. 395 Per Plant	39500	
	IIInd Year Maintenance		Rs. 138 Per Plant	13800	
	IIIrd. Year Maintenance		Rs. 55 Per Plant	5500	
	IVth. Year Maintenance		Rs. 22 Per Plant	2200	
	Vth Year Maintenance		Rs. 24 Per Plant	2400	
	VIth Year Maintenance		Rs. 26 Per Plant	2600	
	VIIth Year Maintenance		Rs. 27 Per Plant	2700	
	VIIIth Year Maintenance		Rs. 28 Per Plant	2800	
	IXth Year Maintenance		Rs. 30 Per Plant	3000	
	Xth Year Maintenance		Rs. 32 Per Plant	3200	
	Berbed wire fencing charges	RKM 0.4	Rs. 200000/- Per RKM	80000	
				Total Charges	1,57,700
	Supervisory/Overhead/Miscellaneous Charges		10% on the CA Charges		15,770
			Total (A) CA Charges	1,73,470	
B	Catchment Area Treatment				
	Soil and Moisture Conservation Charges	30% of the Total CA		52,041	
			Total (C)	52,041	
C	Safety Zone			0	
D	Additional other Charges	Qty.	Rate		
Total (E)		0	0	0	
E	Net Present Value of Forest Land to be diverted		Rs. 887000/-per ha.	3,282	
F	Penalty for violation as per provision B(i) of MoEFCC Letter No. 11-42/2014-FC dt. 29-01-2018 with interest. --- Nil--		---	0	
G	Felling Charges	Vol. M ³	Rs. 1200/- per m ³	0	
		0		0	
Grand Total (A+B+C+D+E+F+G) to be deposited in CAMPA Fund				2,28,793	

Divisional Forest Officer,
Panipat.
13/12/2021



सत्यमेव जयते

File No.9-HRB084/2021-CHA

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND
CLIMATE CHANGE



एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Integrated Regional
Office, Chandigarh

F.No.-: 9-HRB084/2021-CHA

दिनांक: 15-06-2021

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
हरियाणा सरकार,
हरियाणा सिविल सचिवालय,
चण्डीगढ़।
(fcforest@hry.nic.in)

विषय: Diversion of 0.0037 ha of forest land in favour of M/s Divarnav Petrochem for access to M/s Divarnav Petrochem on Madlauda-Waiser Road, Village Madlauda, under forest division and District Panipat, Haryana. (Online proposal No. FP/HR/Approach/122887/2021)-regarding.

संदर्भ (i) State Government online proposal received on dated 09.06.2021.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु 0.0037 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सैधांतिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

(A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-

i. प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।

ii. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रजेंट वैल्यू जमा करवाई जाये।

iii. प्रयोक्ता एजेंसी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाएंगे।

iv. User agency should ensure that the compensatory levies (CA cost, NPV, etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank only. Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance.

v. LOI of the project to be submitted.

(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।

बेज नं. 24-25, सेक्टर-31 ए, चंडीगढ़-160030 / Bays No. 24-25, Sector-31 A, Chandigarh-160030
दूरभाष/Tel No : 0172-2638061 Fax No : 0172-2638135 Email : ronz.chd-mef@nic.in

- ii. प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्ष नहीं काटा जाएगा।
- iii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
- iv. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।
- v. जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी।
- vi. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
- vii. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
- viii. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
- ix. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।
- x. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय - समय पर लगाई जा सकती है।
- xi. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन न जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

4. उपरोक्त पैरा -2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। केंद्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

हस्ता/-
(सी०डी०सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, अलीगंज, नई दिल्ली। (adgfc-mef@nic.in)
2. PCCF (HoFF), Forest Department, Government of Haryana, C-18, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (pccf-hry@nic.in)
3. Divisional Forest Officer, Forest Division District Panipat Haryana (dfopanipat04@yahoo.co.in)
4. DIVARNAV PETROCHEM, MADLAUDA TO ISRANA ROAD VILLAGE WAISER TEHSIL MADLAUDA DISTT. PANIPAT (dixitrajpalpnp@gmail.com)